

न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, भारतपुर

पीठासीन अधिकारी:- श्री अखिलेश कुमार पिपल आर.ए.एस.

अपील संख्या:- 22/2021 (GCMS No. 2021/23) (धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

1. श्यामसुन्दर पुत्र ओमप्रकाश } जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम कैंथरी तहसील
2. चन्द्रकला पुत्री ओमप्रकाश } सैंपऊ जिला धौलपुर।

.....अपीलान्ट्स

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार धौलपुर।

.....रैस्पोडैन्ट

अपील विरुद्ध निर्णय अति० जिला कलक्टर
धौलपुर दिनांक 20.05.2006 प्रकरण संख्या
75/2000 उनवानी सरकार बनाम
ओमप्रकाश



उपस्थिति:-

1. श्री श्रीगोपाल शर्मा, वकील अपीलान्ट
2. राजकीय अभिभाषक, वकील रेस्पोडैन्ट

निर्णय

दिनांक : 20.07.2023

1. यह अपील भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत अति. जिला कलक्टर धौलपुर के आदेश दिनांक 20.05.2006 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि रेस्पोडैन्ट ने एक प्रार्थना पत्र अधीन नियम 14(4) भू आवंटन नियम 1970 प्रस्तुत कर अपीलान्ट के हक में हुये आवंटन को कूटरचित, अवैध व रद्दी दस्तावेज मानते हुये प्रार्थना पत्र रेस्पो. को वापिस कर देने का आदेश किया। जिसके विरुद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अति. संभागीय आयुक्त
भरतपुर

2. अपील अपीलान्त दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोंडेंट को जरिये नोटिस तलब किया एवं तहत न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। रेस्पोंडेंट की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित हुए। बहस उभयपक्ष सुनी गई।
3. दौराने बहस विद्वान वकील अपीलान्त द्वारा अपील मीमो के कथनों को दोहराते हुये कथन किया कि विवादित आराजी ग्राम कैथरी तहसील सैपऊ के क्षेत्राधिकार में आती है जबकि प्रार्थना पत्र तहसीलदार धौलपुर द्वारा प्रस्तुत किया गया है। रेस्पों. द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) अपीलान्त के हक में हुये आवंटन को कूटरचित, अवैध व रद्दी दस्तावेज मानते हुये प्रार्थना पत्र को वापस कर दिया गया। जब स्वयं अधीनस्थ न्यायालय का मत है कि नियम 14(4) को कोई औचित्य नहीं है तो खारिज करनी चाहिए थी। वापस लौटाये जाने का कोई विधिक आधार नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय में कार्यवाही ओमप्रकाश के विरुद्ध प्रारम्भ की गई थी जिनका देहान्त दौराने विचारण हो गया परन्तु उनके वारिसान को अभिलेख पर लाने की कोई कार्यवाही नहीं की गई तथा मृत व्यक्ति के विरुद्ध आदेश पारित किया गया। आवंटन अभी भी प्रभावी है। यद्यपि खातेदारी अधिकार को प्राप्त नहीं हुये हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना पत्र को खारिज नहीं किया केवल वापस लौटाया है। इसके बावजूद भी गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करने में भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय में अपील धारा 14(4) की तहसीलदार धौलपुर द्वारा की है। अधीनस्थ न्यायालय ने पट्टे को निरस्त नहीं किया है। अधीनस्थ न्यायालय में कार्यवाही ओमप्रकाश के विरुद्ध प्रारम्भ की गई थी जिनका देहान्त दौराने विचारण हो गया परन्तु उनके वारिसान को अभिलेख पर लाने की कोई कार्यवाही नहीं की गई तथा मृत व्यक्ति के विरुद्ध आदेश पारित कर दिया गया। अतः अपील अपीलान्त स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश को निरस्त किया जावे।
4. राजकीय अभिभाषक द्वारा बहस के दौरान कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाकर ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जिनमें किसी प्रकार के कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रहती है। अपीलान्त


द्वारा कूटरचित पट्टा तैयार किया गया है। वर्ष 1996 के ग्राम रूँध राजौरा, गौगली व दौनारी के 9 आवंटन से संबंधित पट्टों की जाँच हेतु कमेटी गठित की गई। उक्त कमेटी द्वारा वाद जाँच उक्त पट्टों को फर्जी एवं कूटरचित पाया गया था। यह पट्टा भी उन कूटरचित पट्टों में से एक है जो अवैध है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद परीक्षण पूर्ण न्यायिक प्रक्रिया अपनाते हुये अपीलार्थीन आदेश पारित किया गया है, जो विधिसम्मत है, जो किसी भी प्रकार से अवैधानिक नहीं है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय ने जो निर्णय पारित किया है, वह सही हैं। अतः अपील अपीलान्त खारिज की जावे।

5. वहस उभयपक्ष पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर धौलपुर के निर्णय दिनांक 20.05.2006 के विरुद्ध उक्त अपील पेश की है। अपीलान्त का मुख्य कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विना किसी आधार के आवेदन को कूटरचित अवैध मानकर मृत व्यक्ति के विरुद्ध ही विना उनके वारिसानों को रिकार्ड पर लिये अपीलार्थीन आदेश पारित किया है। अपीलान्त विवादित आराजी पर मौके पर काबिज काश्त चला आ रहा है। ऐसी ही समान प्रकृति के प्रकरणों में पूर्व में भी आवंटन नियम 14(4) के तहत कार्यवाही की गई थी जो न्यायालय द्वारा खारिज की गई थी। अपीलान्त का प्रकरण भी उक्त प्रकरणों के समान है। अतः अपीलार्थीन आदेश निरस्त किया जावे। अपीलान्त द्वारा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली अथवा न्यायालय हाजा में ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया जिससे उनके तर्कों को समर्थन मिलता हो। अपीलान्त के पिता की मृत्यु किस तिथि को हुई का कोई मृत्यु प्रमाण पत्र इस संबंध में अपीलान्त द्वारा प्रस्तुत नहीं किया जिससे यह स्पष्ट हो सके कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मृत व्यक्ति के विरुद्ध अपीलार्थीन आदेश पारित किया हो। अधीनस्थ न्यायालय में तहसीलदार सैंपऊ, तहसीलदार धौलपुर एवं उपखण्ड अधिकारी धौलपुर की जाँच रिपोर्ट तथा तहसीलदार एवं हल्का पटवारी के बयानों में किये गये कथन कि अपीलान्त के पिता के नाम विवादित आराजी पर रिकार्ड में कोई इन्द्राज नहीं होना, ना ही मौके पर कब्जा होना तथा मृत व्यक्ति के



कैथरी में निवास नहीं होना तथा राजस्व रिकार्ड में 1966 के पट्टों की जमा रिकार्ड सूची में कोई उल्लेख अपीलान्त के पिता का नहीं पाया गया के आधार पर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। अपीलान्त के पिता को जारी किया गया पट्टा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार सैंपऊ, तहसीलदार धौलपुर एवं उपखण्ड अधिकारी धौलपुर की जॉच रिपोर्ट के आधार पर फर्जी व कूटरचित पाया गया। अपीलान्त द्वारा न तो अधीनस्थ न्यायालय में और न ही न्यायालय हाजा में ऐसा कोई दस्तावेज पेश किया जिससे उनके पिता के नाम जारी पट्टे को विधिक ठहराया जा सके। विवादित आराजी पर खातेदारी अधिकार के संबंध में कोई राजस्व रिकार्ड भी अपीलान्त ने पेश नहीं किया। दौराने बहस भी अपीलान्त के अधिवक्ता द्वारा कथन किया कि अपीलान्त के नाम अभी विवादित आराजी पर खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हुए हैं। न्यायालय के मत में उक्त तथ्यों के आलोक में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय बाद सुनवाई विधि सम्मत रूप से पारित किया गया है जिसमें हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं है। अतः अपील अपीलान्त खारिज किये जाने योग्य है।

6. अतः अपील अपीलान्त खारिज की जाती है तथा अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.05.2006 यथावत रखा जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर वाद तकमील नियमानुसार दाखिल दफ़्तर हो।
7. निर्णय आज दिनांक 20.07.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(अखिलेश कुमार पिपल)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर